

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ।

प्रशासनिक आदेश सं०-332/2024, दिनांकित दिसम्बर, 12, 2024

माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय से विचार विमर्श के उपरान्त माह जनवरी-2025 से माह मई-2025 तक, अवकाश के दिनों में अभियुक्तगण का रिमाण्ड आदि आवश्यक कार्य करने हेतु निम्न अधिकारीगण को नामित किया जाता है :-

क्र०सं०	न्यायालय का नाम	रिमाण्ड अवधि
1-	श्री आनन्द मिश्रा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-25, लखनऊ।	दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 31.01.2025 तक
2-	श्री आरिफ निसामुद्दीन खान, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-30, लखनऊ।	दिनांक 01.02.2025 से दिनांक 28.02.2025 तक
3-	श्रीमती शीतल प्रियदर्शी, अपर सिविल जज, (सी०डि०), कक्ष संख्या-24/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ।	दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 31.03.2025 तक
4-	श्री पीयूष त्रिपाठी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-26, लखनऊ।	दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 30.04.2025 तक
5-	श्रीमती प्रिया सक्सेना, विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी०बी०आई०, (अयोध्या प्रकरण), लखनऊ।	दिनांक 01.05.2025 से दिनांक 31.05.2025 तक

सभी संबंधित सूचित हों।

यदि उक्त अवधि में कोई रिमाण्ड मजिस्ट्रेट आवश्यक कार्यवश मुख्यालय से बाहर जाता है तो वह किसी अन्य मजिस्ट्रेट की सहमति रिमाण्ड ड्युटी करने हेतु प्राप्त करेगा।

रिमाण्ड ड्युटी निष्पपादित करने वाले पीठासीन अधिकारीगण द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रिमाण्ड कार्य एवं अतिआवश्यक, आरोप पत्रों इत्यादि से संबंधित अन्य न्यायिक कार्य भी किये जायेंगे।

दिनांक 12.12.2024

Hainkash
(हृषीकेश पाण्डेय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखनऊ।

प्रतिलिपि :- माननीय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, लखनऊ बार एसोसियेशन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष, सेन्ट्रल बार एसोसियेशन, लखनऊ।
- 3- सम्बन्धित दाण्डिक अधिकारीगण।
- 4- पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
- 5- संयुक्त निदेशक, अभियोजन, लखनऊ।

दिनांक 12.12.2024

Hainkash
(हृषीकेश पाण्डेय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखनऊ।